

जिलाधिकारी, वाराणसी की अध्यक्षता में आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, वाराणसी की समीक्षा बैठक दिनांक 29.08.2026 का कार्यवृत्त

दिनांक 29.08.2026 को जनपद वाराणसी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी, वाराणसी की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

1. श्री प्रखर कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
2. श्री आशीष कुमार सिंह, अधि० अभि०, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
3. समस्त सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
4. श्री शमशेर आलम, परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स एल०एण्ड०टी०, वाराणसी।
5. श्री राजेश यादव, टीम लीडर, मेसर्स मेधज, टी०पी०आई०।
6. श्री जी०सी० श्रीवास्तव, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, वाराणसी।

बैठक में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया तथा आवश्यक निर्देश दिये गये-

1. जल जीवन मिशन की पेयजल योजनाओं की प्रगति एवं निर्धारित लक्ष्य

अधिकांश अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत संचालित पेयजल योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया। अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा समस्त पेयजल योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अन्तर्गत अक्टूबर, 2026 तक 59 पेयजल योजनाएँ, जनवरी, 2027 तक 139 पेयजल योजनाएँ, मार्च, 2027 तक 178 पेयजल योजनाएँ, दिसम्बर, 2027 तक 124 पेयजल योजनाएँ, मार्च, 2028 तक 28 पेयजल योजनाएँ तथा जून, 2028 तक 03 पेयजल योजनाओं को भौतिक एवं वित्तीय रूप से पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत संचालित समस्त योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाये। योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत वर्तमान भौतिक प्रगति के आधार पर निम्नानुसार समय-सीमा निर्धारित की गयी-

क्र०सं०	योजनाओं की वर्तमान भौतिक प्रगति	योजनाओं की संख्या	भौतिक रूप से पूर्ण किये जाने की निर्धारित समय-सीमा
1	90 से 99 प्रतिशत	135	31 अक्टूबर, 2026
2	75 से 90 प्रतिशत	74	31 दिसम्बर, 2026
3	50 से 75 प्रतिशत	64	28 फरवरी, 2027
4	50 प्रतिशत से कम	08	31 मार्च, 2027

उक्त के संबंध में यह भी निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय-सीमा में योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक मानव संसाधन की आवश्यकता का आकलन अधिकांश अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा तत्काल किया जाये तथा आकलन के अनुसार आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स एल०एण्ड०टी० द्वारा सितम्बर, 2026 के अन्त तक सुनिश्चित की जाये।

कार्यवाही- अधिकांश अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी/परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स एल०एण्ड०टी०, वाराणसी।

2. अन्य विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों का निस्तारण

योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किये जाने में अन्य विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों की सूची तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही आगामी जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी प्रतिभाग कराये जाने हेतु पूर्व से अवगत

कराया जाये तथा ऐसे समस्त प्रकरणों को जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में व्हाट्सऐप के माध्यम से भी लाया जाये, ताकि उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।
कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी/परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स एल०एण्ड०टी०, वाराणसी।

3. परमपुर-भदोही मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के कारण प्रभावित पेयजल योजनायें

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि परमपुर-भदोही मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के कारण 16 पेयजल योजनायें प्रभावित हुई हैं।

उक्त योजनाओं से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु विस्तृत विवरण जिला प्रशासन को उपलब्ध कराये जाने तथा जिला प्रशासन द्वारा उक्त मार्ग से संबंधित समस्याओं का निस्तारण 15 सितम्बर, 2026 तक सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये। समस्याओं के निस्तारण के उपरान्त एक माह के भीतर मेसर्स एल०एण्ड०टी० द्वारा संबंधित 16 पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्य पूर्ण कराये जाना सुनिश्चित किया जाये।

कार्यवाही- मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी/परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स एल०एण्ड०टी०, वाराणसी।

4. पेयजल योजनाओं से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्यों के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का थर्ड पार्टी निरीक्षण/सत्यापन मेसर्स मेधज द्वारा पुनः विस्तृत सर्वेक्षण के माध्यम से कराया जा रहा है। क्षतिग्रस्त स्थलों को ग्राम के मानचित्र में प्रदर्शित करते हुए फोटोग्राफ सहित विवरण मेसर्स एल०एण्ड०टी० को उपलब्ध कराया जा रहा है। मेसर्स एल०एण्ड०टी० द्वारा क्षतिग्रस्त स्थलों की मरम्मत कर उसकी सूची कार्यालय को उपलब्ध करायी जा रही है, जिसका सत्यापन संबंधित खण्ड के अभियन्ताओं द्वारा किया जा रहा है।

इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी को निर्देशित किया गया कि विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक माह ग्राम पंचायतों से सड़क मरम्मत कार्यों के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की स्थिति का नियमित अनुश्रवण किया जा सके।

कार्यवाही- मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।

5. भूमि विवादों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि पेयजल योजनाओं हेतु अधिग्रहीत/प्राप्त भूमि के पहुंच मार्ग से संबंधित 27 प्रकरण भूमि विवाद के कारण लंबित हैं। उक्त विवादों के कारण पेयजल वितरण प्रणाली की मुख्य पाइपलाइन बिछाये जाने का कार्य प्रभावित हो रहा है।

उक्त के संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि भूमि विवाद से संबंधित प्रकरणों की तहसीलवार सूची तैयार कर संबंधित उप जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जाये। साथ ही प्रत्येक तहसील से संबंधित जल निगम के सहायक अभियन्ता का नाम एवं मोबाइल नम्बर भी उपलब्ध कराया जाये, ताकि संबंधित प्रकरणों का विवरण एवं उनके निस्तारण के संबंध में प्रभावी अनुश्रवण किया जा सके।

कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।

6. मिट्टी भराई से संबंधित प्रकरण

परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स एल०एण्ड०टी० द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय पेयजल योजनाओं में मिट्टी भराई का कार्य कराया जाना आवश्यक है। मिट्टी भराई का कार्य स्वीकृत न होने के कारण पेयजल परिसरों में डेवलपमेंट संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन पेयजल योजनाओं में मिट्टी भराई की आवश्यकता है, ऐसी समस्त योजनाओं को चिन्हित करते हुए उनका प्राक्कलन तैयार

उक्त के संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि भूमि विवाद से संबंधित प्रकरणों की तहसीलवार सूची तैयार कर संबंधित उप जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जाये। साथ ही प्रत्येक तहसील से संबंधित जल निगम के सहायक अभियन्ता का नाम एवं मोबाइल नम्बर भी उपलब्ध कराया जाये, ताकि संबंधित प्रकरणों का विवरण एवं उनके निस्तारण के संबंध में प्रभावी अनुश्रवण किया जा सके।

कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।

6. मिट्टी भराई से संबंधित प्रकरण

परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स एल०एण्ड०टी० द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय पेयजल योजनाओं में मिट्टी भराई का कार्य कराया जाना आवश्यक है। मिट्टी भराई का कार्य स्वीकृत न होने के कारण पेयजल परिसरों में डेबलपमेंट संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन पेयजल योजनाओं में मिट्टी भराई की आवश्यकता है, ऐसी समस्त योजनाओं को चिन्हित करते हुए उनका प्राक्कलन तैयार कर एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाये, ताकि आवश्यक स्वीकृति/कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जा सके।

कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी/परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स एल०एण्ड०टी०, वाराणसी।

7. साप्ताहिक एवं मासिक समीक्षा

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यों की प्रगति एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में साप्ताहिक स्तर पर समीक्षा बैठक तथा भौतिक प्रगति की मासिक समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि योजनाओं की प्रगति का नियमित अनुश्रवण करते हुए निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत कार्यों को पूर्ण कराया जा सके।

अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों/कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि बैठक में दिये गये निर्देशों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा किसी भी स्तर पर उत्पन्न होने वाली समस्या को तत्काल उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाये।

बैठक का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।



(सत्येन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी
वाराणसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, वाराणसी

पत्रांक: 784 /जल जीवन मिशन/2026

दिनांक: 10/9/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।



21/9/26
जिलाधिकारी
वाराणसी।